

मध्यप्रदेश राज्य एडस नियंत्रण समिति

(लोक रवारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-म.प्र. शासन)

द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेंज हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन-462011
फोन - 0755-2570442, 2570431 फैक्स : 0755-2556619

क्रमांक / F-CST-18/ART/SC/2016 / 2536

भोपाल, दिनांक 10/10/2016

प्रति,

1. अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इन्डौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर
2. अस्पताल अधीकारी, चिकित्सा महाविद्यालय,
भोपाल, इन्डौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
खण्डवा, मंदसौर, सिवनी, नीमच, बुरहानपुर, बड़वानी,
धार, रतलाम, शिवपुरी, बालाघाट, खरगोन
4. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीकारी,
खण्डवा, मंदसौर, सिवनी, नीमच, बुरहानपुर, बड़वानी,
धार, रतलाम, शिवपुरी, बालाघाट, खरगोन

विषय:-ए.आर.टी. केन्द्र में इस्टीट्यूशनल स्टाफ नर्स की व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ:-पत्र क्रमांक / एक CST / SC / 2013 / 1232, दिनांक-12/04/2013.

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में गठित राज्य स्तरीय एआरटी केन्द्र शिकायत निवारण समिति की बैठक दिनांक 31.08.2012 में लिये गये निर्णयों के सन्दर्भ में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश जारी किये गये थे, जिसकी प्रति संलग्न है।

इस कार्यालय के सज्जान में यह आया है कि ए.आर.टी. केन्द्रों में चिकित्सालय की स्थापना से एक स्टाफ नर्स को कार्य करने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है या वे निरन्तर ए.आर.टी. केन्द्र में कार्य नहीं कर रहीं हैं।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है:-

1. प्रत्येक एआरटी केन्द्र में चिकित्सालय स्थापना से एक स्थायी स्टॉफ नर्स उपलब्ध कराई जावे, जिसकी द्वयुटी कम से कम 6 माह तक नहीं बदली जावेगी।
2. उक्त स्टाफ नर्स अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन, भारत सरकार की ए.आर.टी. ऑपरेशनल गाइडलाइन में निर्धारित किये गये कार्यों को ए.आर.टी. केन्द्र में सम्पादित करेंगी।
3. उक्त स्टाफ नर्स का कार्यालयीन समय ए.आर.टी. केन्द्र के कार्यालयीन समय के अनुसार ही रहेगा, जो कि प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक अथवा प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक है।
4. ए.आर.टी. केन्द्र में पदरथ की गयी स्टाफ नर्स की नाईट ड्यूटी नहीं लगाई जा सकेगी, क्योंकि उन्हें न्यूनतम 6 माह तक निरन्तर ए.आर.टी. केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दी जावेगी।
5. उक्त स्टाफ नर्स की उपरिथिति ए.आर.टी. केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दी जावेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर, 07 दिवस में जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति की आगामी बैठक में उक्त जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

[Signature]
(डॉ. मसूद अख्तर)

IAS

परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एडस नियंत्रण समिति
भोपाल, दिनांक 10/10/2016

पृ.क्र. / F-CST-18/ART/SC/2016 / 2537

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. नोडल अधिकारी, ए.आर.टी. केन्द्र, भोपाल, इन्डौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, खण्डवा, मंदसौर, सिवनी, नीमच, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, रतलाम, शिवपुरी, बालाघाट, खरगोन।

[Signature]
परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एडस नियंत्रण समिति
10/10/2016